

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

प्रकरण संख्या :- 136/2019

निर्णय दिनांक 2.7.19

उनवान

1. छोटू पुत्र श्रीला जाति बैरवा, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील कोटखावदा

—प्रार्थी

बनाम

1. सोनी देवी पत्नी कजोड
2. मीरा देवी पत्नि मूलचंद
3. रामपति पत्नि छोटूराम
4. पार्वती देवी पत्नि बाबूलाल

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करवाने

प्रार्थी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील कोटखावदा के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खसरा नम्बर 9 लगायत 15, 22/1, 23/1 कुल किता 9 जो वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील कोटखावदा मे स्थित है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद करवाने हेतु प्रार्थी ने निवेदन किया है प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थी को सुना गया तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए बताया कि भूमि का सीमाज्ञान कराया जा चुका है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से कराने हेतु दौराने बहस जाहिर किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो प्रार्थी की भूमि पत्थर गढी करवाया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा जिसके आराजी खसरा नम्बर 9 लगायत 15, 22/1, 23/1 कुल किता 9 जो वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील कोटखावदा मे की पत्थरगढी प्रार्थी व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो व फसल कटने के बाद पत्थरबढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी

(एस0डी0एम0) चाकसू